# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

## पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 3 / 2018(बांसवाड़ाआर्डर)**

पूंजीलाल पिता धनजी, जाति गायरी, निवासी देलवाड़ा रावणा, प.ह. देलवाड़ा लोकिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. भगवतीलाल पिता बंशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी देलवाड़ा रावणा, प.ह. देलवाड़ा लोकिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भूपेन्द्र कुमार पिता बंशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी देलवाड़ा रावणा, प.ह. देलवाड़ा लोकिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भुदेव पिता बंशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी देलवाड़ा रावणा, प.ह. देलवाड़ा लोकिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. शैलेन्द्र पिता बंशीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी देलवाड़ा रावणा, प.ह. देलवाड़ा लोकिया, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. तहसीलदार घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णयउपखण्ड अधिकारी, घाटोल प्रकरण संख्या 1 / 17 (मूल प्रकरण संख्या 44 / 14)दिनांक20.12.2017

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)

1. श्री यशपाल गुप्ताअभिभाषकअपीलान्ट
2. श्री जयेन्द्र पुरोहित अभि. रे.सं. 1 से 4
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टसंख्या5

———::———

**निर्णयदिनांक 27–02–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियमका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा देलवाड़ा रावणा, प.ह. देलवाडा लोकिया, तहसील घाटोल में प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नंबर 1311 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थी अपने खेत में जिस रास्ते का वर्षो से उपयोग करता आ रहा था, उसे प्रतिवादीगण ने 4 वर्षो से रोक दिया है, जिससे प्रार्थी के सुखाधिकार का हनन हो रहा है। पुराना रास्ता प्रतिवादीगण के खसरा नंबर 2290 / 1301 रकबा 0.04 हैक्टर के पास से होता हुआ निकला है, जिसे प्रतिवादीगण ने बंद कर दिया है, जिससे 4 वर्षो से प्रार्थी का खेत खाली पड़ा हुआ है। प्रतिवादीगण खसरा नंबर 2290 / 1301 जो आम रास्ते की भूमि है उसे अपने नाम करवा लिया। अतः प्रतिवादीगण से जो आम रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:30 IST
Reason: SelfAttested

रोका है उसे खुलवाया जाकर खसरा नंबर 2290/1301 में से आम रास्ते की भूमि श्री सरकार दर्ज की जावे।

विपक्षीगण की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता आराजी नंबर 1358, 1343, 1344 से उपलब्ध है। प्रार्थी विपक्षीगण की भूमि पर अतिक्रमण करने की नियत से जानबूझकर रास्ते की मांग कर रहा है। आराजी 2290/1301 में कभी भी रास्ता नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20–12–2017 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्रखारिज कर दिया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26–03–2018 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब कियेजाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री जयेन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अपील हेतु धनराशि की व्यवस्था कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया एवं निर्णय की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के साथ कुछ दस्तावेजात प्रस्तुत कर न्यायिक निर्णय के लिए उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न फर्द दस्तावेज क्रम संख्या 8 से 10 फोटोग्राफ एवं फोटो प्रतियां होने मात्र से उन्हें रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता, किन्तु क्रम संख्या 1 से 7 तक दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां होने से उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में मूल प्रकरण संख्या 44/2014 में दिनांक 08–06–2015 को अपीलान्ट के पक्ष में रास्ते बाबत् निर्णय पारित किया गया था, जिसकी अपील रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा आप न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर आप न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया था। रिमाण्ड होने पर अधिनस्थ न्यायालय ने पुनः सुनवाई करते हुए दिनांक 20–12–2017 को अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके का निरीक्षण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:57:30 IST
Reason: SelfAttested

नहीं किया है, यदि मौके की रिपोर्ट तलब की जाती तो स्थिति स्पष्ट हो जाती। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी के कथनों पर विश्वास करते हुए वास्तविक तथ्यों के विपरीत आनन–फानन में निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रकरण सुनवाई हेतु पुनः अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.टी. 2014 (2) पेज 1440, आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1003 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार घाटोल की रिपोर्ट दिनांक 13–06–2017 के आधार पर निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि ''प्रार्थी यह साबित नहीं कर पाया है कि उसके पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, जबकि प्रार्थी खसरा नंबर 1358, 1343, 1344 से आना–जाना कर रहा है जो उसका वैकल्पिक रास्ता है। मौके पर कोई रेकार्ड रास्ता पहले भी था एवं अभी है ऐसा प्रार्थी साबित नहीं कर पाया तथा प्रार्थी ने ऐसा कोई पुराना दस्तावेज नहीं पेश किया जिससे खसरा नंबर 2290/1301 रास्ते के रूप में दर्ज हो तथा वर्तमान में भी रास्ता दर्ज नहीं है। पूर्व से ही खसरा नंबर 2290/1301 पर मकान एवं शौचालय एवं परकोटा बना हुआ है, जिससे रास्ता देना संभव नहीं है।'' उपरोक्त आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। इसलिए अपीलान्ट की यह आपत्ति की मौके की रिपोर्ट तलब की जाती तो स्थिति स्पष्ट हो जाती, उचित प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उसके आधार पर ही निर्णय पारित किया है। तद्नुसार हम अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त विवेचन में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट ने जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से लागू नहीं होते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–12–2017यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(अनीता मीना)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:30 IST
Reason: SelfAttested